रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 237] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 4, 2002/फाल्गुन 13, 1923

No. 237] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 4, 2002/PHALGUNA 13, 1923

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2002

का.आ. 276(अ).— भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए शहद को निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन लाने के लिए कतिपय प्रस्ताव, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग के का0आ0 1097 तारीख 11 मई, 2001 के द्वारा भारत के राजपत्र भाग - 2, खंड - 3, उपखंड -(ii) तारीख 26 मई, 2001 में प्रकाशित किए गए थे,

और, उन सभी व्यक्तियों से ,जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त आदेश के जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे,

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां तारीख 8 जून 2001 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ।

और, उक्त प्रस्ताव पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार की निर्यात(क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण)अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् यह राय है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है, कि .—

(क) यह अधिसूचित करना कि शहद निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अध्यधीन होगा,

(ख) क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार को शहद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण,निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 2002 के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण ,निरीक्षण और मानीटरिंग के प्रकार के रुप में विनिर्दिष्ट करना जो ऐसे शहद को उसके निर्यात से पूर्व लागू होगा ।

(ग) नमूनें लेने और उनके परीक्षण के लिए मानकों तथा प्रक्रियाओं और अन्य संबंधित विषयों को मान्यता देना जो इस आदेश से संलग्न अनुसूची और परिशिष्ट के अनुसार होंगे ।

(घ) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान किसी इकाई द्वारा शहद के निर्यात को तब तक प्रतिषिध्द करना जब तक वह इसे लागू मानक विनिर्देशों के अनुरुप न हो, और जब तक इसके साथ कोई निरीक्षण प्रमाण-पत्र या ऐसा प्रमाण पत्र न हो कि ऐसी इकाई निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन स्थापित किन्ही अभिकरणों जिसके अर्न्तगत उस क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में अवस्थित उनके उपकार्यालय भी हैं द्वारा अनुमोदित है और मानीटर किया जाता है।

2. इस आदेश की कोई बात भावी क्रेताओं को समुद्री मार्ग, भू - मार्ग, या वायु मार्ग द्वारा शहद के उन नमूनों के निर्यात पर लागू नहीं होगी जिनका मूल्य समय-समय पर निर्यात आयात नीति में अधिकथित अनुज्ञेय सीमा से अधिक नहीं होगा, और जहां ऐसे उपबंध विद्यमान नहीं है, वहां भावी क्रेताओं के लिए इनका मूल्य 1000/- रु0 से अधिक नहीं होगा ।

अनुसूची

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 6 के खंड (ग) के अनुसार शहद के लिए मान्यता प्राप्त विनिर्देश निम्नलिखित होंगेः--

(क) आयातकर्ता देशों के राष्ट्रीय मानक ।

(ख) विदेशी क्रेता और निर्यातकों के बीच संविदात्मक विनिर्देश, परन्तु ये आयातकर्ता देशों की स्वास्थ्य संबंधी और अन्य अपेक्षाओं का समाधान करते हैं ।

(ग) उपर्युक्त (क) या (ख) की अनुपस्थिति में, इस आदेश में अधिसूचित न्यूनतम विनिर्देश परिशिष्ट के अनुसार निम्नानुसार है ।

परिशिष्ट

1. शहद के निर्यात के लिए मानकः

परिभाषा

(i) शहद एक प्राकृतिक मीठा पदार्थ है जिसे मधु मक्खी द्वारा पुष्प मकरंद या पौधों के जीवित भागों के स्रावों से तैयार किया जाता है और जिसे मधुमक्खियां संग्रहित करती है , रुपांतरित करती हैं, अपने विशिष्ट तत्वों से सम्मिश्रित करती हैं , जमा करती हैं, प्राकृतिक रुप से सुखाती हैं और उसका भंडारण करती हैं तथा उसे शहद के छत्तो में तैयार होने और पकने के लिए छोड देती हैं । यह खाद्य पदार्थ तरल, विस्कॉस या दानेदार हो सकेगा ।

(ii) निष्कर्षित शहद ऐसा शहद है जिसे केवल बिना ढक्कन वाले अंडो से रहित छत्तों के अपकेन्द्रीकरण से अभिप्राप्त किया जाता है ।

(iii) दबाया हुआ शहद केवल मध्यम ताप का प्रयोग करके या किए बिना ढक्कन रहित छत्तों को दबाकर अभिप्राप्त किया जाता है ।

(iv) .निचोडा हुआ शहद केवल ढक्कन रहित छत्तों को निचोड़ कर अभिप्राप्त किया जाता है ।

(v) पुष्प का शहद या मकरंद शहद वह शहद है जो पौधों के मकरंद से अभिप्राप्त किया जाता है ।

(vi) .मधुरस शहद वह शहद है जिसे मुख्यतः पौधों के जीवित भागों को चूसने वाले कीटों (हेमीपटेरा)के मलोत्सर्जन या पौधों के जीवित भागों के स्राव से अभि प्राप्त किया जाता हैं ।

1.2 साधारण लक्षण — शहद को अंडे रहित छत्तों से निष्कर्षित किया जाना चाहिए और उसे सील किए गए छत्तों

में, छत्तादानी में प्राकृतिक रुप से पकने देना चाहिए । इसका वासक और सुगंध बहुत कुछ पौधे के उदगम पर निर्भर करेगा । तथापि इसमें -

(क) किसी प्रकार का विजातीय स्वाद या गंध नहीं होगी ;-या

(ख) इसमें किसी प्रकार का खामीर या फेन नहीं होगा ; या

(ग) इसको उस सीमा तक गर्म नहीं किया गया होगा, जिससे कि इसके प्राकृतिक एनजाइम नष्ट या निष्क्रिय हो जाएं ;या

(घ) -इसमें कोई अप्राकृतिक रुप से परिवर्तित अम्लता नहीं होगी या ;

(ड.) -इसमें किसी ऐसी मात्रा में कोई ऐसे पदार्थ नहीं होंगे जिनसे मानव स्वास्थ्य को खतरा हो ।

1.3 सम्मिश्रण और क्वालिटी	मधुवाटिका/निष्कर्षित	निचोडा/दबाया हुआ/बहाया हुआ
(क) लघुकारक शक्कर अंतर्वस्तु (न्यूनतम)	65 प्रतिशत	65 प्रतिशत
(ख) आर्द्रता की मात्रा (अधिकतम)	20 प्रतिशत	23 प्रतिशत
(ग) फ्रकटोज/ग्लुकोज (न्यूनतम)	0.95	0.95
(घ) जल में अघुलनशील ठोस/अंर्तवस्तु	0.1 प्रतिशत से अधिक नहीं	0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं
(ड) खनिज पदार्थ (राख)	0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	0.6 प्रतिशत से अधिक नहीं
(च) सुक्रोज	5 प्रतिशत अधिकतम	5 प्रतिशत अधिकतम

(छ) अम्लीयता	प्रति एक हजार ग्राम में 20 मिली समतुल्य अम्ल से अधिक नहीं (0.2 प्रतिशत)	प्रति 1000 ग्राम में 40 मिली समतुल्य अम्ल से अधिक नहीं (0.4 प्रतिशत)
1.4 डायस्टैस क्रियाकलाप (स्केड स्केल)	सामान्य रुप में 8 से कम नहीं, कम प्राकृतिक एनजाइम अंतर्वस्तु* वाले शहद में 3 से कम नहीं और एच एम एफ 15 मि.ग्रा. / कि.ग्रा. की दर से।	सामान्य रुप में 8 से कम नहीं कम प्राकृतिक एनजाइम अंतर्वस्तु* वाले शहद में 3 से कम नहीं और एच एम एफ 15 मि.ग्रा./कि.ग्रा. की दर से।

*(कम एनजाइम अंतर्वस्तु लेबल पर घोषित की जा सकेगी ।)

1.5 हाईड्रोक्सीमिथाइल परफयूरॉल अंतर्वस्तु(एच एम एफ)	20 मि.ग्रा./कि.ग्रा. से अधिक नहीं।	40 मि.ग्रा./कि.ग्रा. से अधिक नहीं ।
1.6 रंग	लगभग रंग रहित से गहरा भूरा	
1.7 खाद्य योज्यक	अनुज्ञात नहीं	
1.8 पशु औषधि अन्य पदार्थ ,पर्यावरणीय तथा अन्य संदूषण	पशु औषधि और संदूषण में निम्नलिखित नहीं होना चाहिए,	

(i) बैक्टीरिया प्रतिरोधक पदार्थ जिनमें सल्फोनोमाइडस और क्विनोलोनस सम्मिलित है ।

(ii) कारबामेटस और पाइरीथ्रोइडस

(iii) आर्गेनोक्लोरिना सम्मिश्रण ,पीसीबीएस सहित ।

(iv) आर्गनफॉस्फोरस सम्मिश्रण

(v) रासायनिक तत्व

1.9 विजातीय पदार्थो से मुक्त होंगे

शहद को जैसा बेचा जाता है, उसमें किसी खाद्य अंश या अन्य पदार्थ को नहीं मिलाया जाएगा । यह प्रतीप शर्करा या शहद के समरुपों से मुक्त होगा । शहद ने प्रसंस्करण और भंडारण के दौरान कोई आपत्तिजनक गंध या सुवास या बाहरी तत्व नहीं सौख लिया होगा, शहद में किणवन या बुदबुदाहट आरम्भ नहीं हो गयी होगी । आपत्तिजनक पदार्थ को हटाने के लिए छानना अनुज्ञात है, परन्तु यह कि शहद में उसकी लक्षण प्रदान करने वाले पराग की पर्याप्त मात्रा बनाए रखी जाती है ।

[फा. सं. 6/3/2000-ईआईएण्डईपी]
एम.वि.पि.सि. शास्त्री, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 4th March, 2002

S.O. 276(E).— Whereas, for the development of the export trade of India, certain proposals for subjecting honey to quality control and inspection prior to export were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii) dated the 26th May, 2001 vide S.O. 1097 dated the 11th May, 2001 of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce;

And whereas, objections and suggestions were invited from all persons likely to be affected thereby, within the period of forty five-days from the date the said Order is made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on 8th June 2001.

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said proposal have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government after consulting the Export Inspection Council being of the opinion that it is necessary and expedient to do so, for the development of the export trade of India, hereby-

(a) notifies that honey shall be subject to quality control and inspection prior to export;

(b) specifies the type of quality control and inspection in accordance with the Export of Honey (Quality Control,Inspection and Monitoring) Rules, 2002, as the type of quality control, inspection and monitoring which shall be applied to such honey prior to export.

(c) recognises the standards and procedures for drawing and testing of samples and other related matters which shall be as per the Schedule and Appendix appended to this Order.

(d)prohibits the export, in the course of international trade of honey unless it conforms to the standard specifications applicable to it and is accompanied by a certificate of inspection or certificate that such unit is approved and monitored by any of agencies established under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) including its sub-offices located at various places of the region.

2. Nothing in this Order shall apply to export by sea, land or air of samples of honey to prospective buyers, the value of which shall not exceed permissible limits laid down in exim policy from time to time and where no such provisions exists, the value shall not exceed Rs1000/ to prospective buyers.

SCHEDULE

Specifications for honey recognised as per clause (c) of section 6 of the Export (Quality Control and Inspection), Act 1963 shall be:-

(a) National Standards of the importing countries.

(b) Contractual specifications agreed to between the foreign buyer and the exporters provided the same is satisfying the health and other requirements of the importing country.

(c) In the absence of (a) or (b) above, the minimum specifications notified in the order as per the Appendix hereunder.

APPENDIX

1. STANDARDS FOR EXPORTS OF HONEY:

1.1 Definition

(i) *Honey* is the natural sweet substance produced by the honey bees from the nectar of blossoms or secretions of living parts of plants and which the bees collect, transform, combine with specific substances of their own, deposit, dehydrate naturally and store and leave to mature and ripen in honey combs. This foodstuff may be fluid, viscous or crystallized;

(ii) *Extracted Honey* is the honey obtained only by centrifuging decapped broodless combs;

(iii) *Pressed Honey* is the honey obtained only by pressing broodless combs with or without the application of moderate heat;

(iv) *Drained Honey* is the honey obtained only by draining decapped broodless combs;

(v) *Blossom Honey or Nectar-Honey* is the honey which comes from nectars of plants;

(vi) *Honeydew Honey* is the honey, which comes mainly from excretions of plant sucking insects (Hemiptera) on the living parts of the plants or secretions of living parts of plants.

1.2 General Characteristics

Honey must be extracted from broodless combs and should be allowed to ripen naturally in the hive in sealed combs. The flavour and aroma would vary depending on the plant origin. However, it shall not: -

(a) have any foreign tastes or odours; or

(b) have begun to ferment or effervesce; or

(c) have been heated to such an extent that its natural enzymes are destroyed or made inactive; or

(d) have an artificially changed acidity; or

(e) contain substances in such quantity as to endanger human health.

1.3 Composition and Quality	Apiary/Extracted	Squeezed/Pressed/Drained
a) Reducing Sugar Content (Min)	65%	65%
b) Moisture content (Max)	20%	23%
c) Fructose/Glucose (Min)	0.95	0.95
d) Water insoluble solids content	Not more than 0.1%	Not more than 0.5%
e) Mineral substance (ash)	Not more than 0.5%	Not more than 0.6%
f) Sucrose	5% maximum	5% maximum
g) Acidity	Not more than 20 milli-equivalents acid per 1000 gms. (0.2%)	Not more than 40 milli-equivalents acid per 1000 gms. (0.4%)
1.4 Diastase activity (SchadeScale)	Not less than 8 in general, not less than 3 for honey with low natural enzyme content* and HMF@ 15 mg/ kg.	Not less than 8 in general, not less than 3 for honey with low natural enzyme content* and HMF@ 15 mg/ kg.

* Low natural enzyme contents may be declared on the label.

1.5 Hydroxymethyl furfural content (HMF)	Not more than 20 mg/kg	Not more than 40 mg/kg

1.6 Colour — Nearly colourless to dark brown.

1.7 Food additive — Not permitted.

1.8 Veterinary drug, other Substances, environmental and other contaminants

Veterinary drug and contaminants should not have:
(i) Antibacterial substances, including Sulphonomides and quinolones

(ii) Carbamates and pyrethroids

(iii) Organochlorine compounds including PcBs

(iv) Organ phosphorus compounds

(v) Chemical elements

1.9 Freedom from foreign matter

Honey sold as such shall not have added to it any food ingredient or other substance. It shall be free from invert sugar or honey analogue. Honey shall not have any objectionable flavour, aroma or taint absorbed from foreign matter during its processing and storage. The honey shall not have begun to ferment or effervescence. Filtration is permitted to remove objectionable matter provided sufficient pollen grains which characterise the honey are retained.

[F. No 6/3/2000-EI&EP]

M.V.P.C. SASTRY, Jt Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2002

का.आ. 277(अ).— केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहद उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण ,निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 2002 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाए -**

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "**अधिनियम**"से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है;

(ख) "**अभिकरण**"से केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 7 के अधीन निरीक्षण के लिए मुम्बई,कोलकाता,कोची,दिल्ली और चेन्नई में स्थापित निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से कोई अभिप्रेत है, जिसके अन्तर्गत क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में अवस्थित उनके उप कार्यालय भी है;

(ग) "**परिषद**"से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद अभिप्रेत है ,

(घ) "**बैच**"से शहद की ऐसी क्वालिटी अभिप्रेत है जिसे समान परिस्थिति में तैयार किया गया है और विशेष रूप से जिसका उपचार उसी एकल सतत प्रक्रिया में किया गया है;

(ड.) "**प्रमाण पत्र**" से अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 3 के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र अभिप्रेत है,

(च) "**संग्रह केन्द्र**" से ऐसा स्थापन अभिप्रेत है जहां पर शहद संग्रहीत किया जाता है,

(छ) "**प्रेषण देश** " से भारत अभिप्रेत है ,

(ज) "**गंतव्य देश**" से वह देश अभिप्रेत है, जिसे भारत से शहद का प्रेषण किया जाता है,

(झ) "**बाजार में रखना** " **से** शहद को विक्रय की दृष्टि से स्टाक या प्रदर्शित करना, विक्रय के लिए प्रस्थापना करना खुदरा विक्रय के सिवाय, परिदान या व्ययन को कोई अन्य रीति ,जिसे खुदरा कारबार के लिए राष्ट्रीय नियमों द्वारा अधिकथित नियंत्रणों के अध्यधीन होना चाहिए, अभिप्रेत है,

(त्र) " **सक्षम प्राधिकारी** " से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम,1963 की धारा 7 के अधीन मुम्बई,कोलकाता,कोची, दिल्ली और चैन्नई में स्थापित निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से कोई एक अभिकरण अभिप्रेत है ,

(ट) " **स्थापन** " से ऐसा परिसर जहां शहद तैयार, प्रसंस्कृत, पैक अथवा भंडारित किया जाता है, अभिप्रेत है ।

3. **अनुपालन का आधार** -शहद के क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण की प्रमुख बातें निम्न प्रकार से हैं :-

(क) निर्यात के लिए आशयित शहद का रखरखाव उत्पादन के सभी प्रक्रमों भंडारण और परिवहन का आधार, अच्छी विनिमार्णकारी रीति (जी.एम.पी).में - और अच्छी स्वच्छता रीति (जी.एम.पी) में किया जाएगा,और उत्पाद अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा आदेश में दी गई विशिष्टियों के अनुरुप होगा । सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्थापन द्वारा शहद के उत्पादन,भंडारण और परिवहन के सभी प्रक्रमों पर अच्छी विनिमार्णकारी रीति और अच्छी स्वच्छता रीति अपनाई जा रही है । परिषद योजना को प्रभावी रुप से मानीटर करने के लिए इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करेगी ।

(ख) परिषद द्वारा विहित रीति में किए गए निरीक्षण और परीक्षण के आधार पर

4. क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण की प्रक्रिया

4.1 नियम 3 के खंड (क) के अधीन अनुपालन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः-

(1) उद्योग का यह प्रथम दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करले कि निर्यात के लिए आशयित शहद का उत्पादन, भंडारण और परिवहन के सभी प्रक्रमों पर उचित स्वच्छता और विनिर्माणकारी अवस्थाओं में प्रसंस्करण और रखरखाव किया गया है और यह कि वह उत्पाद अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए आर्डर में दिए गए विनिर्देशों के अनुरुप है ।

(2) राज्य सरकार/ केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर वाणिज्यिक या पर्यावरणीय या संरक्षण उपायों की बाबत अधिरोपित किन्हीं कानूनी निर्बंधनों का कठोरता से अनुपालन किया जाएगा ।

(3) सक्षम प्राधिकारी यह समाधान होने पर कि स्थापनों में ,उन क्रियाकलापों की प्रकृति की बाबत जिन्हें वे चलाते हैं,अपेक्षाएं पूरी कर ली गई हैं,ऐसे स्थापनों को अनुमोदित करेगा ।

(4) सक्षम प्राधिकारी स्थापनों के अनुमोदन के मामले में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) , खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग, कृषि मंत्रालय, के प्रतिनिधियों से सहायता ले सकेगा ।

(5) यदि अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है तो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक उपाय करेगा ।

(6) जिनके पास उचित सरकारी संख्या है ऐसे अनुमोदित स्थापनों की सूची परिषद द्वारा बनाई जाएगी ।

(7) सक्षम प्राधिकारी के दायित्वाधीन नियमित रुप से स्थापन का निरीक्षण और मानीटरिंग किया जाएगा जो सभी समय स्थापनों के सभी भागों और उन अभिलेखों तक पहुंच रखेगा,जो शहद के उत्पादन,भंडारण और परिवहन के सभी प्रक्रमों के दौरान स्थापन द्वारा स्वच्छतापूर्वक रखरखाव और प्रसंस्करण के नियंत्रण किए जाने के प्रयोग से संबंधित है ।

4.2 नियम 3 के खंड (ख) के अधीन निरीक्षण की प्रक्रिया निम्नलिखित के अनुसार होगाः-

(1) शहद के परेषण का निर्यात करने का आशय रखने वाला निर्यातकर्ता अभिकरण को लिखित में सूचना देगा उसमें केवल तकनीकी विनिर्देशों को देते हुए उसके साथ निर्यात संविदा की प्रति होगी जिसमें कीमत और अन्य ब्यौरे नहीं होंगे।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना, उस दशा में जहां निरीक्षण ऐसे परिसरों में किया जाता है जो उसी स्थान पर स्थित है जहां अभिकरण का कार्यालय अवस्थित है ऐसे निरीक्षण से कम से कम दो दिन पूर्व, और जहां निरीक्षण ऐसे परिसरों में किया जाता है जो उसी स्थान पर स्थित नहीं है जहां अभिकरण का कार्यालय अवस्थित है, वहां ऐसे निरीक्षण से कम से कम पांच दिन पूर्व दी जाएगी ।

(3) उपनियम (1) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर ,अभिकरण निर्यात के लिए आशयित शहद का निरीक्षण और परीक्षण के लिए नमूना लेकर निरीक्षण करेगा। अभिकरण अपना यह समाधान होने पर कि शहद का परेषण किए गए निरीक्षण और परीक्षण के आधार पर इस प्रयोजन के लिए परिषद द्वारा यथाअधिकथित मानक विनिर्देशों के अनुरुप है तो यथास्थिति दो या पांच दिन के भीतर शहद के परेषणों को निर्यात योग्य घोषित करते हुए प्रमाण- पत्र जारी करेगा,

परन्तु यह कि जहां अभिकरण का समाधान नही होता है वहां वह निर्यातकर्ता को प्रमाण पत्र जारी करने से इंकार कर सकता है और इस प्रकार के इंकार की सूचना निर्यातकर्ता को दो दिन के भीतर संसूचित करेगा यदि निरीक्षण उसी स्थान पर किया जाता है जहां पर अभिकरण अवस्थित है। यदि परिसर उसी स्थान पर स्थित नहीं है जहां पर अभिकरण अवस्थित है तो सूचना पांच दिन के भीतर संसूचित की जाएगी, और उसके साथ उसके कारण भी दिए जाएंगे ।

(4) .सत्यापन के पश्चात, अभिकरण के अभिवहन या वास्तविक पोत पर लदान से पूर्व किसी स्थान पर या भंडारण में परेषण की क्वालिटी का पुनःनिर्धारण करने का अधिकार होगा ।

5. इन प्रक्रमों में से किसी प्रक्रम पर परेषण को मानक विनिर्देशों के अनुरुप नहीं पाए जाने की दशा में, मूल रुप से जारी किया गया निरीक्षण प्रमाणपत्र वापस ले लिया जाएगा।

5. **पैकिंग और चिन्हांकन**- निर्यात के लिए शहद को पैक करने का आशय रखने वाला कोई निर्यातक नियमों के अनुसार परेषण तैयार करने के पश्चात स्वच्छतापूर्वक साफ किए गए चौडे मुंह वाले कांच के आधानों में या अम्ल प्रतिरोधी प्रक्षालित टिन आधानों में पैक करेगा । कांच के आधानों के चूडीदार ढक्कन गैर- सक्षारक और शहद के साथ अभिक्रिया न करने वाली सामग्री के होंगे और इनमें शहद को छलकने से रोकने के लिए वासर लगी होगी ।

प्रत्येक आधान पर निम्नलिखित सूचना स्पष्ट और अमिट रुप से चिन्हित की जाएगीः -

1. प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता का नाम और पता ।
2. निर्यातक का नाम और पता ।
3. सामग्री का नाम और श्रेणी अभिधान ।
4. बैच/लॉट संख्या
5. प्रसंस्करण या विनिर्माण का वर्ष, मास और तारीख ।
6. सकल द्रव्यमान और शुध्द द्रव्यमान ।
7. भारतीय उत्पाद
8. पोत चिन्ह

6 निरीक्षण शुल्कः

मानीटरिंग प्रणाली के अनुमोदन की दशा में , निरीक्षण फीस पोत पर्यन्त भाडा मूल्य की 0.2 प्रतिशत की दर पर होगी और परेषणवार निरीक्षण की दशा में, पोत पर्यन्त भाडा मूल्य की 0.4 प्रतिशत की दर पर होगी जो न्यूनतम 500 रुपए प्रति परेषण के अध्यधीन होगी जिसका संदाय निर्यातकर्ता द्वारा अभिकरण को किया जाएगा ।

7. **अपील :** (क) कोई भी निर्यातकर्ता अभिकरण द्वारा प्रमाण पत्र न दिए जाने के कारण व्यथित होने पर अभिकरण के द्वारा प्रमाण पत्र जारी न किए जाने की सूचना प्राप्त होने पर 10 दिन के भीतर अपील कर सकेगा जिसे अभिकरण केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त न्यूनतम तीन व्यक्तियों और अधिकतम सात व्यक्तियों वाले विशेषज्ञों के पैनल को निर्दिष्ट करेगा ।

(ख) पैनल के कुल सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई गैर - सरकारी सदस्य होंगे ।

(ग) पैनल की गणपूर्ति निम्नानुसार होगी -

1 तीन सदस्यों वाले पैनल की दशा में गणपूर्ति के लिए न्यूनतम दो सदस्य अपेक्षित होंगे ।

2. चार और चार से अधिक सदस्यों वाले पैनल में गणपूर्ति के लिए तीन सदस्य अपेक्षित होंगे ।

(घ) इस प्रकार की अपील पर पैनल का निर्णय अन्तिम होगा ।

[फा. सं. 6/3/2000-ईआईएण्डईपी]

एम.वि.पि.सि. शास्त्री, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2002

S.O. 277(E).—In exercise of the powers conferred by Clause (d) of sub section 2 of section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. **Short title and commencement** – (1) These rules may be called the Export of Honey (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 2002.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions** – In these rules, unless the context otherwise requires –

   (a) "**Act**" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

   (b) "**Agency**" means any of the Export Inspection Agencies established by the Central Government at Mumbai, Kolkata Kochi, Delhi and Chennai under section 7 of the Act for inspection including its sub-offices located at various places of the region;

   (c) "**Council**" means the Export Inspection Council established under section 3 of the Act;

   (d) "**Batch**" means a quality of honey, which have been prepared under the same conditions and in particular treated in single continuous operation;

   (e) "**Certificate**" means certificate issued under sub-section (3) of section 7 of the Act;

   (f) "**Collection Centre**" means an establishment where honey is collected.

   (g) "**Country of Dispatch**"- means India;

(h) **"Country of Destination"** means the country to which honey is dispatched from India;

(i) **"Placing on the market"** means the stocking or display with a view to sale, offering for sale, delivery or any other manner of disposal with the exception of retail sale, which must be subject to the checks laid down by national rules for retail business;

(j) **" Competent Authority"** means any one of the Export Inspection Agencies at Mumbai, Kolkata Kochi, Delhi and Chennai established under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963;

(k) **" Establishment"** means any premises where honey is prepared, processed, packaged or stored.

3. **Basis of compliance. -** The quality control and inspection of honey shall be carried out as follows:-

(a) The honey intended for export shall be handled at all stages of production, storage and transport based on good manufacturing practices (GMP) and good hygienic practices (GHP) and the product shall conform to the specification given in the Order by the Central Government under section 6 of the Act. The Competent Authority shall conduct regular monitoring of the establishments to ensure that good manufacturing practices and good hygienic practices are adopted by the establishment at all stages of production, storage and transport of honey. For effective monitoring of the scheme, the Council shall issue necessary instruction in this regard.

(b) On the basis of inspection and testing carried out in the manner prescribed by the Council.

4. **Procedure of Quality Control and Inspection**

4.1 The procedure to be followed for compliance under clause (a) of rule 3 shall be as under: -

(1) It is the primary responsibity of the industry to ensure that honey intended for export is processed and handled at all stages of production, storage, and transport under proper hygienic and manufacturing conditions and that the product conforms to the specifications given in the order by the Central Government under section 6 of the Act.

725GI-2002-3

(2) Any statutory restrictions imposed by any State/ Central Government with respect to commercial or environmental or conservation measures from time to time shall be strictly adhered to.
(3) Having satisfied itself that the establishments meet the requirements with regard to nature of activities they carry out, the Competent Authority shall accord approval to such establishments.
(4) The Competent Authority may take the assistance of representatives from Agricultural and Processed Food Export Development Authority (APEDA), Department. of Food Processing Industry and Ministry of Agriculture in the matter of approval of establishments.
(5) The Competent Authority shall take necessary measures if the requirements cease to be met.
(6) The Council shall draw up a list of approved establishments, each of which shall have an official number.
(7) The inspection and monitoring of establishment shall be carried out regularly under the responsibility of the Competent Authority which shall at all times have free access to all parts of the establishments and records pertaining to the controls exercised by the establishment for hygienic handling and processing of honey during all stages of production, storage and transport.

4.2 The procedure of inspection under clause (b) of rule 3 shall be carried out as under: -

(1) An exporter intending to export a consignment of honey shall give intimation in writing to the Agency furnishing therein only the technical specifications alongwith a copy of the export contract blanking out pricing and other details.

(2) Every intimation under sub rule (1) shall be given not less than two days before the inspection is to be carried out at the premises situated at the same station where the office of the Agency is located; and not less than five days before the inspection is to be carried out at the premises which are not situated at the same station where the office of the Agency is located.

(3) On receipt of intimation under sub rule (1), the Agency shall carry out the inspection of honey meant for export by drawing samples for inspection and testing. The Agency, on satisfying itself that the consignment of honey conforms to the standard specifications recognised for the purpose on the basis of inspection and testing carried out as laid down by the Council, shall, within two days or five days, as the case may be, issue certificate declaring the consignment of honey as exportworthy:

Provided that where the Agency is not satisfied, it shall refuse to issue a certificate to the exporter and shall communicate such refusal within two days if the inspection is carried out at the station where the Agency is situated or five days, if the premises are not situated in the same station where the Agency is located, as the case may be, to the exporter along with the reasons thereof.

(4) Subsequent to certification, the Agency shall have the right to re-assess the quality of the consignment at any place or storage, in transit or at the posts before its actual shipment.

(5) In the event of the consignment being found not conforming to the standard specifications at any of these stages, the certificate of inspection originally issued shall be withdrawn.

(5) Packing and Marking. An exporter intending to pack honey for export after preparing the consignment as per the rules shall pack in hygienically clean wide mouth, glass containers or in acids resistant lacquered tin containers. The screw caps for the glass container shall be non-corrosive and non-reactive material to honey and shall be provided with washers to avoid spilling.

Each container shall be legibly and indelibly marked with the following information, namely:-

1. Name and address of processor or manufacturer.
2. Name and address of the exporter
3. Name of the material and grade designation.
4. Batch or Lot number.
5. Year, month and date of processing or manufacturing.
6. Gross mass and net mass.
7. Product of India.
8. Shipping mark.

(6) Inspection Fee: -

In the case of approval and monitoring system, inspection fee @ 0.2%of the freight on board (FOB) value and in the case of consignment wise inspection @ 0.4%of freight on board value subject to a minimum of Rupees 500/- per consignment, shall be paid by the exporter to the Agency.

(7). **Appeal:** - (a) Any exporter aggrieved by the refusal of the Agency to issue the certificate of inspection may within 10 days of the receipt of the communication of such refusal may prefer an appeal which shall be referred by the Agency to a panel of experts consisting of not less than three, but not more than seven persons appointed for the purposes by the Central Government.

(b) At least two-thirds of the total membership of the panel shall consist of non-officials.

(c) The quorum of the panel shall be-

(i) two, in case the panel consists of three members.

(ii) three in case the panel consists of four or more members .

(d) The decision of the panel on such appeal shall be final.

[F. No. 6/3/2000-EI&EP]

M.V.P.C. SASTRY, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054